GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2468

TO BE ANSWERED ON THE 02ND JANUARY, 2018/ PAUSHA 12, 1939 (SAKA)

OFFICIAL WORK IN HINDI

2468. SHRI SUDHEER GUPTA:
KUNWAR HARIBANSH SINGH:
SHRI BIDYUT BARAN MAHATO:
SHRI T. RADHAKRISHNAN:
SHRI S.R. VIJAYAKUMAR:
SHRI ASHOK SHANKARRAO CHAVAN:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Government has reviewed the progress of use of Hindi in official work in Ministries recently;

(b) if so, the details and the outcome thereof, Ministry-wise;

(c) whether during the review it was noticed that the major ministries fail to use Hindi in official work;

(d) if so, the details thereof and the reasons for the same;

(e) the details of the schemes/ incentives prepared by the Government for working in Hindi along with English; and

(f) the other measures taken by the Government to promote the use of Hindi in Central Ministries?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI KIREN RIJIJU)

(a) and (b): Yes, Madam. Recently, the 39th meeting of the Central Official Language Implementation Committee was held in four phases under the chairmanship of Secretary, Department of Official Language on 28.06.2017, 23.08.2017, 25.08.2017 and 30.08.2017. Joint Secretaries / Senior Officials of the Ministries / Departments of Central Government

looking after the work of Official Language Hindi participated in these meetings. In the meetings, the use of Official Language Hindi in each Ministry etc. was thoroughly reviewed. Ministers / Departments were made aware of the shortcomings found during the review and appropriate suggestions and guidelines were issued in order to remove them. Besides, meetings of the Official Language Implementation Committees and Hindi Advisory Committee were held under the chairmanship of Joint Secretaries of different Ministries / Departments and the concerned Hon'ble Minister respectively, in which the work related to Hindi was reviewed and measures needed to enhance it were discussed.

(c) No, Madam.

(d) Question does not arise.

(e) The details are annexed.

(f) Following steps have been taken by the Government to enhance the work of Hindi in Central Ministries :-

(i) Quarterly progress reports regarding progressive use of Official Language Hindi are received and reviewed at the end of each quarter.

(ii) An Annual Programme is issued by the Department of Official Language every year wherein targets are fixed for the use of Official Language Hindi.

(iii) Achievements regarding compliance of Annual Programme are laid on the Table of both the Houses of the Parliament in the form of Annual Assessment Report.

(iv) The Department of Official Language conducts training for central government employees in Hindi language, Hindi typing, Hindi Stenography, translation and the use of Hindi on computer through its subordinate offices viz 'Central Hindi Training Institute' and 'Central Translation Bureau'.

(v) Official Language Implementation Committees are constituted in Central Government offices etc. to review the progressive use of Official Language Hindi.

(vi) Hindi Advisory Committees are constituted in Ministries/Departments to provide necessary guidelines.

(vii) The Official Language Policy of Union is based on inspiration, incentive and goodwill. Therefore, various incentive schemes are being implemented by the Department of Official Language for the offices/personnels of Government of India to promote the use of Hindi.

*****

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2468

दिनांक 02.01.2018/12 पौष, 1939 (शक) को उत्तर के लिए

हिन्दी में कार्यालयी काम-काज

†2468. श्री सुधीर गुप्ताः
कुँवर हरिवंश सिंहः
श्री विद्युत वरण महतोः
श्री टी॰ राधकृष्णनः
श्री एस॰ आर॰ विजय कुमारः
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मंत्रालयों में हिन्दी के उपयोग की प्रगति की समीक्षा की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;
(ग) क्या समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि मुख्य मंत्रालय हिन्दी में कार्यालयी कार्य करने में विफल रहे हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त के लिए क्या कारण हैं;
(ङ) सरकार द्वारा अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में कार्य करने के लिए तैयार की गई योजनाओं/प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) तथा (ख) जी, हां । हाल ही में दिनांक 28.06.2017, 23.08.2017, 25.08.2017 और 30.08.2017 को सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 39वीं बैठक का आयोजन चार चरणों में किया गया । इन बैठकों में केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव/राजभाषा हिंदी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठकों में प्रत्येक मंत्रालय आदि में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की गहन समीक्षा की गई । समीक्षा के दौरान पाई गई कमियों से संबंधित मंत्रालय/विभाग को अवगत कराया गया और उन्हें दूर

लो.स.अता.प्र.सं.2468

करने के लिए समुचित सुझाव व दिशानिर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में उनके संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों तथा उनके माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें भी हुई जिनमें हिंदी के कार्य की समीक्षा की गई और इसे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता

(ङ) विवरण अनुलग्नक पर दिया गया है ।

(च) सरकार द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) प्रत्येक तिमाही के अंत में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टें मंगाई जाती हैं और उसकी समीक्षा की जाती है |

(ii) राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है जिसमें राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं |

(iii) वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन में हुई उपलब्धियां वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के रूप में संसद के दोनों पटलों पर रखी जाती हैं ।

------3/-

<u>लो.स.अता.प्र.सं.2468</u>

(iv) विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान व केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से केंद्र सरकार के कार्मिकों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि, अनुवाद व कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(v) केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं ।

(vi) आवश्यक दिशा-निर्देश देने के लिए मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियां गठित की गई हैं।

(vii) सरकार की राजभाषा नीति, प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भाव पर आधारित है । इसलिए हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग की तरफ से भारत सरकार के कार्यालयों/कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं ।

ANNEXURE Part (e)
L.S.US.Q.NO.2468 FOR 02.01.2018

1. Rajbhasha Kirti Awards Scheme

Rajbhasha Shields are awarded under the Rajbhasha Kirti Award Scheme to various Ministries, Departments, Public Sector Undertakings, Nationalized Banks, Boards/ Autonomous Bodies and Town Official Language Implementation Committees for their outstanding achievements in promoting the Official Language Policy of the Government.

2. Rajbhasha Regional Awards Scheme

Rajbhasha Shields are awarded under the Rajbhasha Regional Award Scheme to various Central Government Offices, Public Sector Undertakings, subordinate offices of Nationalized Banks and Town Official Language Implementation Committees for their outstanding achievements in promoting the Official Language Policy of the Government.

3. ENCOURAGEMENT SUCH AS PERSONNEL PAY AND CASH INCENTIVES TO EMPLOYEES OF CENTRAL GOVT. FOR PASSING EXAMINATIONS OF HINDI TEACHING SCHEME

1. PERSONNEL PAY : Central Goverment officers/employees are given an incentive/Personal pay equivalent to one increment for 12 months on passing examinations of Hindi Language, Hindi Typewriting and Hindi Stenography Examination.

2. CASH PRIZES : The Cash prizes are given at following rates to employees who pass Hindi Prabodh, Hindi Praveen, Hindi Pragya, Hindi Word Processing/Hindi Typing and Hindi Stenography examinations with good marks :

(1). Prabodh:
1. For securing 70% or more marks - Rs 1600/-
2. For securing 60% or more marks but less than 70% marks - Rs. 800/-
3. For securing 55% or more marks but less than 60% marks - Rs. 400/-

(2). Praveen :
1. For securing 70% or more marks - Rs 1800/-
2. For securing 60% or more marks but less than 70% marks - Rs. 1200/-
3. For securing 55% or more marks but less than 60% marks - Rs 600/-

(3). Pragya :
1. For securing 70% or more marks - Rs 2400/-
2. For securing 60% or more marks but less than 70% marks - Rs.1600/-
3. For securing 55% or more marks but less than 60% marks - Rs 800/-

(4). Hindi word processing/ Hindi Typing:
1.For securing 97% or more marks - Rs. 2400/-
2. For securing 95% or more but less than 97% marks - Rs. 1600/-
3. For securing 90% or more but less than 95% marks - Rs. 800/-

ANNEXURE Part (e)
L.S.US.Q.NO.2468 FOR 02.01.2018

(5). Hindi Stenography :

1.For securing 95% or more marks - Rs. 2400/-
2. For securing 92% or more but less than 95% marks - Rs. 1600/-
3. For securing 88% or more but less than 92% marks - Rs. 800/-

(6). Lump sum amount given to those who pass Hindi Language, Hindi Word Processing/Hindi Typing and Hindi Stenography Examinations of Hindi Teaching Scheme with own efforts.

1. **Prabodh Examination of Hindi Teaching Scheme Rs. 1600/-**
2. **Praveen Examination of Hindi Teaching Scheme Rs. 1500/-**
3. **Pragya Examination of Hindi Teaching Scheme Rs. 2400/-**
4. **Hindi word Processing/Hindi Typewriting Examination of Hindi Teaching Scheme Rs. 1600/-**
5. **Hindi Stenography Examination of Hindi Teaching Scheme Rs. 3000/-**

(4) Incentives for Stenographers and Typist for doing official work in Hindi other than English.

There is a provision to grant an incentive of Rs. 240/- and Rs 160/- per month for Stenographers and Hindi Typist who do their official works in Hindi other than English.

(5) Incentive for doing official work (noting/drafting) originally in Hindi.

Incentive for doing official work originally in Hindi is as following –

First Prize (2 Prizes)	**:**	**Rs. 5000/- Each**
Second Prize (3 Prizes):		**Rs. 3000/- Each**
Third Prize (5 Prizes)	**:**	**Rs. 2000/- Each**

(6) Incentive for Dictation given in Hindi by Officers

There is a provision to grant an incentive of Rs 5000 per year for dictation given in Hindi by Officers.

अनुलग्नक

I

अतारांकित प्रश्न सं0 2468 के भाग (ङ) के संदर्भ में

1. **राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना**

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालयों ,विभागों ,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों , राष्ट्रीयकृत बैंकों, बोर्डों/स्वायत्तनिकायों तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को पुरस्कारस्वरूप राजभाषा शील्ड देकर सम्मानित किया जाता है।

2. **क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार योजना**

क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को पुरस्कारस्वरूप राजभाषा शील्ड देकर सम्मानित किया जाता है।

3. **हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार आदि प्रोत्साहन**

1. **वैयक्तिक वेतन**– हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं आशुलिपि की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

2. **नकद पुरस्कार** – हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएँ अच्छे अंकों से उत्त्तीर्ण करने पर पात्रता के अनुसार निम्नलिखित नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनकी वर्तमान दरें निम्नानुसार हैं-

(1) **प्रबोध**

1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रू. 1600/-
2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रू. 800/-
3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रू. 400/-

(2) **प्रवीण**

1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रू. 1800/-
2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रू. 1200/-
3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रू. 600/-

(3) **प्राज्ञ**

1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रू. 2400/-
2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रू. 1600/-
3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रू. 800/-

(4). **हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण**

1. 97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रू. 2400/-
2. 95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से पर करने प्राप्त अंक कम	रू. 1600/-

3. 90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर — रू. 800/-

(5) **हिंदी आशुलिपि**

1. 95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर — रू. 2400/-
2. 92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर — रू. 1600/-
3. 88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर — रू. 800/-

(6) **निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदीभाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर एकमुश्त पुरस्कार**

1. हिन्दी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा — रू 1600/-
2. हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा — रू.1500/-
3. हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा — रू. 2400/-
4. हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण परीक्षा — रू.1600/-
5. हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा — रू. 3000/-

4. अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी सरकारी काम-काज करने के लिए आशुलिपिकों तथा टंककों के लिए प्रोत्साहन भत्ता

अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी सरकारी काम-काज करने के लिए आशुलिपिकों तथा टंककों के लिए प्रोत्साहन भत्ता प्रतिमाह क्रमश: रू.240/- व रू.160/- देने का प्रावधान है ।

5. सरकारी कामकाज) टिप्पण/आलेखन (मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन

सरकारी काम मूल रूप से हिंदी में करने के लिए पुरस्कार राशि निम्न प्रकार है –

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक रू. 5000/-

दूसरा पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक रू. 3000/-

तीसरा पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक रू. 2000/-

6. अधिकारियों द्वारा हिंदी में श्रुतलेख देने के लिए प्रोत्साहन योजना

अधिकारियों द्वारा हिंदी में श्रुतलेख देने के लिए प्रतिवर्ष रू.5000 की राशि प्रदान की जाती है ।

****